



पूर्वी दिल्ली नगर निगम  
केन्द्रीय संस्थापना विभाग |  
419, औद्योगिक क्षेत्र पड़पडगंज,  
दिल्ली-110092

संस्कृत  
भारत

क्रमांक.प्रशा.अधि./डी.ए-III/के.स.वि./पू.दि.न.नि/2021/368

दिनांक: 05 अप्रैल/2021

कार्यालय आदेश

निगम के संकल्प संख्या-350 दिनांक 08.09.2008 के अनुसार निगम के नियमित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के कल्याणार्थ योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा परीक्षा एवं पुलिस विभाग द्वारा उनके चरित्र पूर्ववृत्त के सत्यापन में सफल पाया जाता है, अनुबंध के आधार पर, 1 वर्ष की अवधि की है, न्यूनतम प्रचलित मजदूरी की दर पर निम्नलिखित शर्तों पर लगाया जाता है


शर्तें एवं निबंध :

1. प्रत्याशी को आरंभ में चतुर्थ श्रेणी के पद पर 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर लगाया जा रहा है। इस अवधि को उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष किये गए कार्य के आकलन के आधार पर अधिकतम 15 वर्ष तक सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर बढ़ाया जा सकता है।
2. अनुबंधित कर्मचारी की सेवाओं को निगम द्वारा, बिना कारण बताओ नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किए जाने की स्थिति में प्रत्याशी को केवल किये गए कार्य की मजदूरी पाने का ही अधिकार होगा। अनुबंध की शेष अवधि के लिए उसको किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
3. प्रत्याशी को प्रत्येक माह में केवल एक आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य अवकाश का अधिकारी नहीं होगा।
4. प्रत्याशी को मजदूरी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भत्ते/लाभ जैसे बोनस, ओवरटाइम भत्ता, विशेष भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, व इलाज के उपरांत खर्च इत्यादि देय नहीं होंगे। प्रत्याशी को मजदूरी का भुगतान कार्यभार संभालने की तिथि से नियमानुसार देय होगा।
5. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नियमित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के कल्याणार्थ योजना के अंतर्गत MCD/EDMCद्वारा जारी की गई सभी शर्तें और उसके सभी संशोधन अभ्यर्थी पर लागू होंगे।

अतः निम्नलिखित अभ्यर्थी को नियमित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के कल्याणार्थ योजना के अनुसार उसके नाम के सम्मुख लिखे गए विभाग में अनुबंधित अनुचर के रिक्त पद पर 1 वर्ष की अवधि के लिए (अभ्यर्थी द्वारा संबंधित विभाग में जॉइनिंग दिए जाने की तिथि से) अनुबंध के आधार पर लगाया जाता है। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित विभाग में अधोस्ताक्षरी अधिकारी को कार्य के लिए रिपोर्ट करें।

ख. सं.	नाम एवं निवास का पता	पद	विभाग
1.	श्री देवेंद्र कुमार पुत्र स्व. श्री भोपाल, पता- बडा गांव, खेकडा न्यू वी.टी.सी. बागपत, उत्तर प्रदेश पिनकोड-250101.	अनुबंधित चौकीदार	केन्द्रीय संस्थापना विभाग

यह आदेश आयुक्त महोदय की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

  
(संजय शर्मा)  
प्रशासनिक अधिकारी,  
केन्द्रीय संस्थापना विभाग,  
दूधारा न. 01166667326

प्रतिलिपि: -

1. श्री देवेंद्र कुमार पुत्र स्व. श्री भोपाल, पता- बडा गांव, खेकडा, न्यू वी.टी.सी. बागपत, उत्तर प्रदेश पिनकोड-250101.
2. विशेष अधिकारी को निगमायुक्त के सूचनार्थ।
3. निजी सहायक को अतिरिक्त आयुक्त के सूचनार्थ।
4. सहायक आयुक्त (श्रम)।
5. प्रशासनिक अधिकारी (सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग)। Aol/IT
6. इंचार्ज बायोमेट्रिक उपस्थिति (मुख्यालय)।
7. कार्यालय प्रतिगार्ड फाइल

upload on CED page.

  
6/4  
prsh